संख्या:2/2023/I/278180/2023/46-2-23-41/ 17

प्रेषक,

जगराम यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2023

विषय- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की जिला-गोरखपुर की पिपराईच चीनी मिल में 90 के.एल.पी.डी. की आसवनी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रू.60.00 करोड़ को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. के पत्र संख्या-पी.सी./एसएससी/पिपराईच आसवनी/3500, दिनांक 06.02.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की सहायक कम्पनी उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि.की पिपराईच चीनी मिल की अविवादित भूमि पर 3500 टी.सी.डी. (5000 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल मय 18 मेगावाट के को-जनरेशन प्लान्ट तथा 60 के.एल.पी.डी.आसवनी की स्थापना हेतु पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.) से अनुमोदित धनराशि रू.40089.67 लाख (रूपया चार अरब नवासी लाख सरसठ हजार) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू.90.00 करोड़ (रूपया नब्बे करोड़) की धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू.300.00 करोड़ (रूपया तीन अरब) की धनराशि ऋण के रूप में अवमुक्त की गयी है। उपर्युक्त परियोजना को पुनरीक्षित करते हुए 5000 टी.सी.डी. (7500 टी.सी.डी. क्षमता तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नयी चीनी मिल, 27 मेगावाट को-जनरेशन प्लान्ट, 120 के.एल.पी.डी.की आसवनी तथा रिफाइनरी-सल्फरलेस शुगर प्लान्ट की स्थापना हेतु पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.) से अनुमोदित पुनरीक्षित लागत धनराशि रू.657.9696 करोड़ (रूपया छः अरब सत्तावन करोड़ छियानबे लाख छियानबे हजार) की शासनादेश संख्या-2021/46-2-19-41/17 दिनांक 25.09.2019 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू.7.50 करोड़ (रूपया सात करोड़ पचास लाख) की धनराशि, वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू.25.00 करोड़ (रूपया पचीस करोड़) तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रू.25.00 करोड़ (रूपया पचीस करोड़) की धनराशि ऋण के रूप में अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार परियोजना की पुनरीक्षित लागत धनराशि रू.657.9696 करोड़ (रूपया छः अरब सत्तावन करोड़ छियानबे लाख छियानबे हजार) के सापेक्ष पिपराईच चीनी मिल में आसवानी के अतिरिक्त शेष परियोजनाओं यथा चीनी मिल, कोजन व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सल्फरलेस प्लान्ट हेतु चीनी निगम को कुल रू.434.43 करोड़ (रूपया चार अरब चौंतीस करोड़ तैंतालीस लाख) की धनराशि ऋण के रूप में अवमुक्त की जा चुकी है।

2. उल्लेखनीय है कि चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में कोजनरेशन प्लाण्ट, आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना से सम्बन्धित परियोजना की पी.आई.बी. से अनुमोदित पुनरीक्षित लागत धनराशि रु.65796.96 लाख जिसमें 120 के.एल.पी.डी. की आसवनी की स्थापना के लिए आंकलित लागत रू.22353.96 लाख पर अनुमोदन सम्मिलित है, के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत आसवनी की स्थापना के लिए प्राविधानित धनराशि रू.60.00 करोड़ (रूपया साठ करोड़ मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ऋण के रूप में अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित कर उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. को पिपराईच चीनी मिल में आसवनी की स्थापना हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

(2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा, एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी आगामी 10 वर्षो में की जाएगी।

(4) ब्याज की दर 14 प्रतिशत (11.50+ 2.50) वार्षिक होगी तथा नियमित अदायगी पर 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(5) मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(6) मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगांठ तिथि को की जानी होगी।

(7) उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

(8) संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-

(2) चालान संख्या तथा दिनांक-

(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज

(5) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ

(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

(9) चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

(10) भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋणी संस्थान महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगे।

(11) इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी।

(12) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

(13) पिपराईच चीनी मिल में आसवनी की स्थापना हेतु दी जा रही धनराशि के व्यय व उपयोग किये जाने का मदवार विवरण सहित प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को शीघ्रातिशीघ्र (वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व) उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(15) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गए व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(16) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,00,00,000 (रुपये साठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 024 लेखा शीर्षक 6860041901100 चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में कोजेनेरेशन प्लाण्ट, आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना हेतु कर्ज मानक मद 30 निवेश/ ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-163-X-2022-23, दिनांक 20-02-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जगराम यादव)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 2/2023/I/278180/2023(1)/46-2-23-41/17,तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
3- आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र., लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जगराम यादव)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2022/ / /2022/46-2-22-41/17

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक मार्च, 2022

विषय- दि किसान सहकारी चीनी मिल लि., ननौता, जिला सहारनपुर में तकनीकी अपग्रेडेशन तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता 5000टी.सी.डीको रिफाइनरी शुगर उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि 2500.00 लाख में से रू.2038.98 लाख की धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के पत्र संख्या- 1495 यू.पी.एफ./परि.वित्त/ननौता/22, दिनांक 18.02.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष में सहकारी चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/कोजनरेशन संयंत्र/आवसनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि रू.2500.00 लाख (रूपया पचीस करोड़) में से दि किसान सहकारी चीनी मिल लि., ननौता, जिला सहारनपुर में तकनीकी अपग्रेडेशन तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता 5000टी.सी.डीको रिफाइनरी शुगर उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु, पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड(पी.आई.बी.) से अनुमोदित धनराशि रू.2038.98 लाख (रूपया बीस करोड़ अड़तीस लाख अट्ठानवे हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ऋण के रूप में अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित कर दि किसान सहकारी चीनी मिल लि., ननौता, जिला सहारनपुर में तकनीकी अपग्रेडेशन तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता 5000 टी.सी.डी को रिफाइनरी शुगर उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स लि., लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

- उक्त धनराशि उसी कार्य के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।
- राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षो में की जाएगी।
- ब्याज की दर 14 प्रतिशत (11.50+ 2.50) वार्षिक होगी तथा नियमित अदायगी पर 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

- मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।
- मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगांठ तिथि को की जानी होगी।

2. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

3. संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-
(2) चालान संख्या तथा दिनांक-
(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज
(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त ब्याज
(5) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

4. चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

5. भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगे।

6. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

7. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

8. दि किसान सहकारी चीनी मिल लि., ननौता, जिला सहारनपुर में तकनीकी अपग्रेडेशन तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता 5000 टी.सी.डी को रिफाइनरी शुगर उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-"6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-21-सहकारी चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण/ आधुनिकीकरण/ कोजनरेशन संयंत्र/आवसनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जाएगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6- -दस-20212022 दिनांक मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव सहाय अवस्थी)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-5/2021/I/70889/2021/46-2-21-41/ 17

प्रेषक,

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2021

विषय- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की जिला-गोरखपुर में बन्द पड़ी पिपराईच चीनी मिल में 5000टी.सी.डी. (7500टी.सी.डी.तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नयी चीनी मिल मय 27 मेगावाट क्षमता के कोजेन एवं रिफाइनरी-सल्फरलेस शुगर प्लान्ट तथा 120 के.एल.पी.डी. की आसवनी की स्थापना की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में रू.11.93 करोड़ की धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. के पत्र संख्या-पी.सी./शासकीय बजट/पिप/85, दिनांक 06.05.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की सहायक कम्पनी उ.प्र. राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लि.की पिपराईच चीनी मिल की अविवादित भूमि पर 3500 टी.सी.डी. (5000 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल मय 18 मेगावाट के को-जनरेशन प्लान्ट तथा 60 के.एल.पी.डी.आसवनी की स्थापना हेतु पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.) से अनुमोदित धनराशि रू.40089.67 लाख (रूपया चार अरब नवासी लाख सरसठ हजार) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू.90/- करोड़ (रूपया नब्बे करोड़) की धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू.300/- करोड़ (रूपया तीन अरब) की धनराशि ऋण के रूप में अवमुक्त की गयी है। उपर्युक्त परियोजना को पुनरीक्षित करते हुए 5000 टी.सी.डी. (7500 टी.सी.डी. क्षमता तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नयी चीनी मिल, 27 मेगावाट को-जनरेशन प्लान्ट, 120 के.एल.पी.डी.की आसवनी तथा रिफाइनरी-सल्फरलेस शुगर प्लान्ट की स्थापना हेतु पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.) से अनुमोदित पुनरीक्षित लागत धनराशि रू.657.9696 करोड़ (रूपया छः अरब सत्तावन करोड़ छियानबे लाख छियानबे हजार) की शासनादेश संख्या-2021/46-2-19-41/17 दिनांक 25.09.2019 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू.7.50 करोड़ (रूपया सात करोड़ पचास लाख) की धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू.25/- करोड़ (रूपया पचीस करोड़) की धनराशि ऋण के रूप में अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार परियोजना की पुनरीक्षित लागत धनराशि रू.657.9696 करोड़ (रूपया छः अरब सत्तावन करोड़ छियानबे लाख छियानबे हजार) के सापेक्ष चीनी निगम को कुल रू.422.50 करोड़ (रूपया चार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अरब बाइस करोड़ पचास लाख) की धनराशि ऋण के रूप में अवमुक्त की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू.25/- करोड़ (रूपया पचीस करोड़) में से प्रथम किश्त के रूप में रू.11.93 करोड़ (रूपया ग्यारह करोड़ तिरान्बे लाख) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन ऋण के रूप में अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित कर उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. को जिला गोरखपुर बन्द पड़ी पिपराईच चीनी मिल के स्थान पर नयी चीनी मिल मय कोजेन, आसवनी तथा रिफाइनरी सल्फरलेस शुगर प्लान्ट की स्थापना हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

(i) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जायेगी।

(ii) ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50 + 2.50) प्रतिवर्ष वार्षिक होगी। मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी पर ब्याज दर में 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(iii) मूलधन/ ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(iv) मूलधन एवं ब्याज की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगाँठ तिथि को की जानी होगी।

2. उक्त धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3. धनराशि का आहरण व्यय की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

4. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.) के बैठक दिनांक 04.09.2019 में प्रश्नगत परियोजना के परिक्षणोपरान्त दिये गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. उक्त ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

6. चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

7. भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि चीनी निगम ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

8. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।

9. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन निदेशक (वित्त)/मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित निदेशक (वित्त) आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-11- चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में को-जनरेशन प्लान्ट, आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-203-दस-20212022, दिनांक 07.06.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

संख्या:5/2021/I/70889(1)/2021/46-2-21 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।